रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2014/भाद्र 12, 1936
No. 463] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2014/BHADRA 12, 1936

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(कार्मिक शाखा–I)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 635 (अ).––भारत के असाधारण राजपत्र भाग–II, खण्ड–3, उप–खण्ड–(i) में प्रकाशित दिनांक 05.08.1999 की अधिसूचना और उसके बाद दिनांक 23.09.2005 को किए गए संशोधन में आंशिक संशोधन करते हुए दि.वि.प्रा. के कल्याण कैडर के निम्नलिखित पदों के भर्ती विनियमों में निम्नानुसार संशोधन/आशोधन किया जाता है:–

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कल्याण/कार्मिक निरीक्षक पद के लिए भर्ती विनियम

क्र.सं.	भर्ती विनियमों का मानक प्ररूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में प्रस्तावित संशोधन
1.	पद का नाम	कल्याण/कार्मिक निरीक्षक
2.	पदों की संख्या	15* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)
3.	वर्गीकरण	समूह–'ख'
4.	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड–2 अर्थात् 9300–34800/– रूपये तथा ग्रेड वेतन 4600/–रूपये
5.	चयन पद है अथवा अचयन पद	लागू नहीं
6.	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत देय है ।	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,	दो वर्ष
11.	भर्ती की पद्धति– सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, जिसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा जिसका भार (वेटेज) क्रमशः 85% एवं 15% है ।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है ।	दि.वि.प्रा. में कार्यरत कर्मचारी जिनका वेतन बैंड–1 अर्थात 5200–20200/– रूपये तथा ग्रेड वेतन 2400/– रूपये और अधिक है तथा जिनकी ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा है, वे सीमित विभागीय

		प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पात्र हैं परन्तु उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो ।
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ?	विभागीय पदोन्नति समिति लागू नहीं ।
14.	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे इस संबंध में केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।
15.	निरर्हता	कोई भी ऐसा व्यक्तिः (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो; अथवा (ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि वह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह उस व्यक्ति को इन विनियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकती/सकता है ।
16.	शिथिल करने की शक्ति	जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कल्याण अधिकारी के पद के भर्ती विनियम

क्र.सं.	**भर्ती विनियमों का मानक प्ररूप/कॉलम**	**दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में प्रस्तावित संशोधन**
1.	पद का नाम	कल्याण अधिकारी
2.	पदों की संख्या	5* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)
3.	वर्गीकरण	समूह–'ख'
4.	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड–2 अर्थात् 9300–34800/– रूपये तथा ग्रेड वेतन 4800/–रूपये
5.	चयन पद है अथवा अचयन पद	चयन पद
6.	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत देय है ।	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,	लागू नहीं
11.	भर्ती की पद्धति– सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	100% पदोन्नति द्वारा
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है ।	कल्याण/कार्मिक निरीक्षक, जिनकी ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा हो ।
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ?	समूह–'ख' के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो ।
14.	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे इस संबंध में केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।
15.	निरर्हता	कोई भी ऐसा व्यक्तिः (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो; अथवा (ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो,

		उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि वह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है तथा और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह उस व्यक्ति को इन विनियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकती/सकता है ।
16.	शिथिल करने की शक्ति	जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं ।

[एफ. 1 (मिस)/04/आर.आर./वैलफेयर/2014/पी.बी. 1]

ब्रजेश कुमार मिश्रा, आयुक्त/सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(PERSONNEL BRANCH-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2014

G.S.R. 635 (E).—In partial modification to notification dated 05.08.1999 and followed by amendment dated 23.09.2005 published in Extraordinary Gazette of India Part-II, Section-3, and Sub-section-(i) amendments/ modification of Recruitment Regulations for the following posts of Welfare Cadre in DDA are made as under:-

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF WELFARE/PERSONNEL INSPECTOR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format/Col. Of RRs	Proposed modifications in the existing RRs of DDA
1.	Name of post	Welfare/Personnel Inspector
2.	No. of post	15* (subject to variation dependent on workload)
3.	Classification	Group 'B'
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	PB-2 i.e. Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/-
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Not applicable
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension Rules, 1972	Not applicable
7.	Age limit for direct recruits	Not applicable
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotion and deputationists?	Not applicable
10.	Period of probation, if any	Two years
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods.	Through limited departmental competitive examination followed by interview with weightage of 85% & 15% respectively.
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made.	The officials working in DDA in the Pay Band-1 i.e. Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- and above with 3 years regular service in the grade through limited departmental competitive examination and not above 45 years of age.
13.	In a DPC exists what is its composition.	DPC not applicable
14.	Saving	Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex Service Man and other special categories of persons in accordance with the O.M. issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
15.	Disqualification	No person: (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person. Shall be eligible for appointment to the said post, provided that the Central Government / Delhi Development Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and

		the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.
16.	Power to relax	Where the Chairman, DDA is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category or persons or posts.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF WELFARE OFFICER IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format/Col. Of RRs	Proposed modifications in the existing RRs of DDA
1.	Name of post	Welfare Officer
2.	No. of post	5* (subject to variation dependent on work load)
3.	Classification	Group 'B'
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	PB-2 i.e. Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/-
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Selection post
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension Rules, 1972	Not applicable
7.	Age limit for direct recruits	Not applicable
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees and deputationists?	Not applicable
10.	Period of probation, if any	Not applicable
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods.	100% by promotion
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made.	Welfare / Personnel Inspector with 6 years regular service in the grade.
13.	In a DPC exists what is its composition.	Senior Level DPC for Group 'B' Officers as notified from time to time by DDA.
14.	Saving	Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex Service Man and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
15.	Disqualification	No person: (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person. Shall be eligible for appointment to the said post, provided that the Central Government / Delhi Development Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.
16.	Power to relax	Where the Chairman, DDA is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category or persons or posts.

[F. 1 (Misc)04/RR/Welfare/2014/PB -I]

BRIJESH KUMAR MISHRA, Commissioner-Cum- Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054